न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.

प्रकरण सं.– /2017

पंजियन दि.27.10.2016
निर्णय दि. 27.12.2017

श्री हुरमा पिता सवजी मीणा, निवासी घोटाद तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

श्री सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश चौबीसा अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. राजकीय पेरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा घोटाद के खसरा नम्बर 2446 बिलानाम पडत भूमि में से रकबा 01 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट श्री हुरमा पिता सवजी मीणा, निवासी घोटाद द्वारा अतिक्रमण करते हुए पक्का निर्माण कर मकान बना लेने से उसके विरूद्ध धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् उप तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 541/2008 दर्ज कर बाद कार्यवाही निर्णय दिनांक 17.06.2008 के उक्त अतिक्रमण के ध्वस्त कर बेदखल करने के आदेश के साथ ही शास्ती रूपया 3–00 से दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हांजा में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण संख्या 06/2008 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 21.09.2011 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारीज की गई। न्यायालय हांजा के निर्णय दिनांक 21.09.2011 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकरी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण संख्या 121/2011 पर दर्ज रजिस्टर होकर निर्णय दिनांक 18.12.2015 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 21.09.2011 एवं उप तहसीलदार सागवाड़ा का निर्णय दिनांक 17.06.2008 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण आबादी भूमि से संबंधित होने से क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पुनः सुनवाई कर नव निर्णय पारित करने हेतु न्यायालय हांजा को प्रति प्रेषित किया गया है।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षों को सुना गया। अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक का कथन है कि अपीलान्ट ने मौजा घोटाद के जिस बिलानाम खसरा संख्या 2446 के रकबा 01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर मकान का निर्माण किया है, वह करीब 40 वर्षो से अधिक समय से पुराना बना हुआ होकर अपीलान्ट उक्त मकान में अपने परिवार सहित निवासरत है। सरपंच ग्राम पंचायत घोटाद का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट के अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि अपीलान्ट जिस बिलानाम भूमि मौजा घोटाद के खसरा नम्बर 2446 के रकबा 01 बिस्वा पर वर्षो पूर्व से मकान बनाकर परिवार सहित उसमें निवास कर रहा है, वह भूमि आबादी में परिवर्तित होकर वर्तमान में आबादी भूमि है तथा इस आबादी भूमि में ही अपीलान्ट का मकान स्थित है। अपीलान्ट के कब्जे की भूमि आबादी भूमि होने से इसके सुनवाई का अधिकार न्यायालय जिला कलेक्टर को प्राप्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ उप तहसीलदार सागवाड़ा के प्रकरण संख्या 541/2008 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2008 को निरस्त किया जावे। रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार ने अपीलान्ट की बहस का खण्डन किया किन्तु उनके द्वारा अपीलाधीन भूमि के आबादी की भूमि होना एवं अपीलान्ट का मकान पुराने समय से बना होकर परिवार सहित निवास करने के तथ्य को स्वीकार किया।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार सागवाड़ा की रिपोर्ट क्रमांक 184 दिनांक 03.02.2009 में अंकित है कि मौजा घोटाद के बिलानाम खसरा नम्बर 2446 का रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा आदेश जिला कलेक्टर डूंगरपुर क्रमांक 3074-78 दिनांक 25.07.2008 के आबादी में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 1262 दिनांक 23.10.2008 के रेकार्ड में अमल दरामद हुआ हैं तहसीलदार सागवाड़ा ने पत्र क्रमांक 465 दिनांक 20.04.2009 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा घोटाद के खसरा नं. 2446 में श्री हुरमा पिता सवजी मीणा का मकान करीब 25 वर्ष पूर्व से बना हुआ है जिसमें अपीलान्ट परिवार सहित निवास करता हैं इसी पत्र में आगे अंकित किया है कि राजस्व अभियान केम्प 2006 में बिलानाम भूमि पर आदिवासियों के निर्मित मकानों का आबादी विस्तार हेतु आवंटन का प्रस्ताव केम्प में प्रस्तुत करने से जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 25.07.2008 के द्वारा ख.नं. 2446 में रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटन की गई है, जिसमें अपीलान्ट का मकान भी है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन से ख.नं. 2446 की भूमि रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत घोटाद को आवंटित होना प्रमाणित है। इस प्रकार पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट्स के अनुसार अपीलान्ट की अपीलाधीन भूमि आबादी भूमि होकर ग्राम पंचायत घोटाद को आबादी विस्तार हेतु आवंटित होना एवं इसमें अपीलान्ट का पुराना मकान होना पाया जाता है। आबादी भूमि में अतिक्रमण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा को स्वतः प्राप्त नही है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 541/08 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2008 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भटट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)